Government of Bihar
Rural Development Department

Letter No. 198790
ग्रा.वि 7(अं) - 60/2013

Date: 01/09/14

From
S.M. Raju,
Secretary

To,
Sri R. Subhramanyam,
Joint Secretary, MGNREGA
Ministry of Rural Development,
Krishi Bhavan,
New Delhi – 110 001.

Sub: **Change in the Minimum Wage of Unskilled Labour in Bihar**

Dear Sir,

Rural Development Department, Bihar vide its notification no 195279 dated 5th August 2014 revised its minimum wage rate to be paid under MGNREGA (a copy of Notification was send to Ministry, Rural Development) mentioning the reference of Minimum Wage Payment resolution issued vide letter no 156858 dated 23rd July 2013 was sent to Ministry of Rural Development.

Further on 22nd August 2014 Ministry has requested for copy of Minimum Wage Resolution for payment of difference in wage from State resources. Please be informed that the State Government of Bihar has decided vide cabinet resolution (notification no. 156858 dated 23.07.2013) to pay wages to unskilled workers under MGNREGA in Bihar at the rate of Wages for agricultural labourers as notified by the State Government, from time to time, in exercise of power vested under section 3 of Minimum Wages Act, 1948. It has further been resolved that all the differences arising out of difference in Wages that is notified by Government of India and that of State Government, shall be borne by the resources of State Government. The copy of said resolution is attached for your kind perusal and necessary action.

This is for your information and necessary action.

Yours Sincerely

(S.M. Raju)
Secretary
1/9/14

ग्रामीण विकास विभाग

बिहार, पटना ।

अधिसूचना

अधिसूचना सं0 195279 पटना/दिनांक 05/08/14

ग्रा0वि07(आं)-60/2013

श्रम संशाधन विभाग के अधिसूचना संख्या ज्ञापांक 5/एम0डब्लू0-402/2009 श्र0सं0 1697 पटना दिनांक 19.06.2014 एवं राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय संसूचन संकल्प सं0-156858 दिनांक 23.07.2013 के आलोक में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत बिहार राज्य में अकुशल श्रमिकों को संदेय मजदूरी की दर अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से 162/- (एक सौ बासठ) रुपया से बढाकर 177/- (एक सौ सतहत्तर) रूपया की जाती है ।

5.8.14

(मिथिलेश कुमार सिंह)

अपर सचिव ।

ज्ञापांक 195279 पटना/दिनांक 05/08/14

ग्रा0वि07(आं)-60/2013

प्रतिलिपि:- पॉच प्रतियों में अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले अंक में प्रकाशन प्रेषित ।

5.8.14

अपर सचिव ।

ज्ञापांक 195279 पटना/दिनांक 05/08/14

ग्रा0वि07(आं)-60/2013

प्रतिलिपि:- मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव, आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य सचिव, बिहार के सचिव, विकास आयुक्त, बिहार के सचिव, परिषद् के सभी सदस्यों, सभी विभागीय सचिव / विभागाध्यक्ष, सभी कार्याध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, सभी अध्यक्ष, जिला परिषद्, सभी प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5.8.14

अपर सचिव ।

ज्ञापांक 195279 पटना/दिनांक 05/08/14

ग्रा0वि07(आं)-60/2013

प्रतिलिपि:- सचिव/संयुक्त सचिव (मनरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि मनरेगा एम0आई0एस0 पर उक्त संशोधित अधिसूचित दर से संबंधित आवश्यक सुधार करने की कृपा की जाय ।

5.8.14

अपर सचिव ।

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संचिका संख्या:- ग्रा.वि. 8(थ)120/ 2006 - 156858 दिनांक:- 23-07-2013

संकल्प

विषय:- **भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) अधिनियम की धारा 6(1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत बिहार राज्य में अकुशल श्रमिको को संदेय मजदूरी दर, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 अंतर्गत कृषि नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम निर्धारित की गयी है। अतएव बिहार राज्य में मनरेगा योजना अंतर्गत अकुशल श्रमिको को संदेय मजदूरी दर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 अंतर्गत कृषि नियोजन हेतु समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप निर्धारित करने तथा उक्त क्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत बिहार राज्य में अकुशल श्रमिको को संदेय मजदूरी के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 अंतर्गत कृषि नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अंतर राशि के आलोक में समय-समय पर होने वाले अतिरिक्त व्यय, जो वर्तमान में दरों के अंतर के कारण 447,45,99,200 रूपये होता है, का वहन राज्य कोष से किये जाने हेतु अतिरिक्त राज्यांश की योजना की स्वीकृति के संबंध में ।**

वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू है । यह एक मॉग आधारित रोजगार कार्यक्रम है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक परिवारों को 100 दिनो के अकुशल श्रम की वैधानिक गारंटी दी गयी है ।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत मजदूरी के दर के लिये धारा 6 अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:-

"6. (1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिये, अधिसूचना द्वारा, मजदूरी दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परंतु यह कि विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी:

परंतु यह और कि किसी ऐसी अधिसूचना के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर साठ रूपये प्रतिदिन से कम की दर पर नही होगी ।

(2) किसी राज्य में किसी क्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई मजदूरी दर नियत किये जाने के समय तक कृषि श्रमिको के लिये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी उस क्षेत्र को लागू मजदूरी दर समझी जायेगी ।"

3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 22 अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन हेतु निधि की व्यवस्था के लिये निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:-

"22. (1) ऐसे नियमो के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित की लागत को पूरा करेगी, अर्थात:-

(क) स्कीम के अधीन अकुशल मजदूरी के संदाय के लिये अपेक्षित रकम;

(ख) स्कीम की सामग्री लागत के तीन चौथाई तक रकम, जिसके अंतर्गत अनुसूची 2 के उपबंधो के अधीन रहते हुए कुशल और अर्धकुशल कर्मकारो को मजदूरी का संदाय भी है;

(ग) स्कीम की कुल लागत का ऐसा प्रतिशत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्चों के प्रति अवधारित किया जाय. जिसके अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारियो और उनके सहायक कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते, केन्द्रीय परिषद के प्रशासनिक खर्च, अनुसूची 2 के अधीन दी जाने वाली सुविधाएं और ऐसी अन्य मद भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किये जाएं ।

(2) राज्य सरकार निम्नलिखित की लागत को पूरा करेगी, अर्थात:-

(क) स्कीम अंतर्गत संदेय बेकारी भत्ते की लागत;

(ख) स्कीम की सामग्री लागत का एक चौथाई, जिसके अंतर्गत अनुसूची 2 के अधीन रहते हुए कुशल और अर्द्धकुशल कर्मकारों की मजदूरी का संदाय भी है;

(ग) राज्य परिषद के प्रशासनिक खर्च ।"

17

4. मनरेगा अधिनियम अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में "न्यूनतम मजदूरी" से अभिप्रेत कृषि श्रमिको के लिये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी है, जो उस क्षेत्र में लागू है ।

5. भारत सरकार द्वारा समय समय पर धारा 6(1) मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत मनरेगा मजदूरी की दरें अधिसूचित की जाती रही हैं । ये दरें कभी भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुरूप नहीं रही हैं । पिछले 5 वर्षो का भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मनरेगा मजदूरी दर, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं मनरेगा अंतर्गत भुगतान की गयी मजदूरी दर निम्नवत है:-

तिथि	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मनरेगा मजदूरी दर	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूतम मजदूरी दर	मनरेगा अंतर्गत भुगतान की मजदूरी दर
01.04.2009	81.00	89.00	89.00
01.04.2010	100.00	104.00	104.00
01.04.2011	120.00	114.00	120.00
01.04.2012	122.00	151.00	144.00
01.04.2013	138.00	162.00	138.00

राज्य में मनरेगा के अंतर्गत 31.03.12 तक राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों से अन्यून दर पर भुगतान होता रहा है । 31.03.2012 को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 144.00 रूपये थी तथा इसी दर से मनरेगा मजदूरों का भुगतान 31.03.2013 तक किया जा रहा था । 01.04.13 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर 138 रूपये प्रतिदिन है जबकि 01.04.13 से राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर 162 रू0 प्रतिदिन है । राज्य में 01.04.2013 से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर 138 रू0 प्रतिदिन के आधार पर भुगतान किया जा रहा है क्योंकि प्रति मानव दिवस अंतर राशि 24 रूपये की अतिरिक्त देयता राज्य सरकार की होती है ।

6. राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा अंतर्गत अकुशल श्रमिको को संदेय मजदूरी दर 144/- रूपये प्रतिदिन से 138/- रूपये करने के फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक जन हित याचिका दायर हुयी है जिसमे पूर्व के 144 रूपये के दर से मजदूरी का भुगतान करने का अंतरिम आदेश प्राप्त हुआ है ।

7. 01.04.2013 के बाद की समीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि राज्य में मजदूरी दर 138 रूपये किये जाने से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रति मजदूरों का रूझान कम हुआ है । वे अन्य विकल्पों की तलाश में निकल रहे हैं जिससे गैर कृषि मौसम में उनके बड़े पैमाने में पलायन की संभावना है । राज्य में मजदूर हित में यह जरूरी प्रतीत हुआ कि मनरेगा अंतर्गत समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (कृषि नियोजन) के दर पर भुगतान किया जाये, इसके लिये आवश्यकतानुसार अंतर राशि राज्य कोष से वहन की जाय ।चूँकि मनरेगा अधिनियम में मज़दूरी का शत प्रतिशत व्यय भार भारत सरकार को वहन करना है अत: भारत सरकार को पुन: यह अनुरोध किया जाय कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराये ।

8. वित्तीय वर्ष 2013-14 का भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वीकृत श्रम बजट 10,55,33,000 (दस करोड पचपन लाख तैंतीस हजार) मानव दिवस है । इस आधार पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 01.04.2013 से भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के अकुशल श्रमिको के लिये मनरेगा अंतर्गत निर्धारित दर यथा 138 रूपये तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के धारा 3 अंतर्गत कृषि नियोजन हेतु निर्धारित दर यथा 162 रूपये के अंतर राशि के आलोक में अतिरिक्त राज्यांश की आवश्यकता 447,45,99,200 (चार सौ सैंतालीस करोड पैंतालीस लाख निनानवे हजार दो सौ) रूपये होगा । जैसे-जैसे न्यूनतम मजदूरी बढेगी और यदि भारत सरकार द्वारा तदनुरूप बढोतरी नही की जाती है तो उसी अनुरूप और अतिरिक्त राज्यांश की आवश्यकता पडेगी ।

9. इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्य के श्रमिको के हित में अधिसूचना की तिथि के प्रभाव सेनिम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

i. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत बिहार राज्य में अकुशल श्रमिको को संदेय मजदूरी के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 अंतर्गत कृषि नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम निर्धारित किया गया है । इस क्रम में निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य में मनरेगा योजना अंतर्गत अकुशल श्रमिको को संदेय मजदूरी दर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 अंतर्गत कृषि नियोजन हेतु समय समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा ।

ii. उक्त क्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत बिहार राज्य में अकुशल श्रमिको को संदेय मजदूरी के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर तथा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3 अंतर्गत कृषि नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अंतर राशि के आलोक में होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन राज्य कोष से किया जायेगा, इस हेतु अतिरिक्त राज्यांश की योजना लागू की जाती है ।

विश्वासभाजन

23.7.13
(अमृत लाल मीणा)
सचिव

ज्ञापांकः 156858 पटना, दिनांक 23-07-2013

ग्रा.वि.-8 (थ)-120/2006

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.7.13
सचिव

ज्ञापांकः 156858 पटना, दिनांक 23-07-2013

ग्रा.वि.-8 (थ)-120/2006

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 300 प्रतियां करा दी जाय ।

23.7.13
सचिव